भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1228

सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

अन्य देशों के लिए श्रम रोजगार संबंधी एजेंसियां

1228. डॉ. गणपथी राजक्मार पी.:

श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सरकार के पास पंजीकृत निजी क्षेत्र की ऐसी श्रम भर्ती/रोजगार एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विशिष्ट प्रयोजनों अर्थात् अन्य देशों में नियोजन के लिए स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या अन्य देशों में भर्ती के लिए देश में ऐसी भर्ती/रोजगार एजेंसियों को शुरू करने और प्रचालित करने के लिए कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि कई अन्य देशों के लिए भर्ती एजेंसियां खाड़ी देशों में अच्छी कंपनियों में उच्च वेतन आदि के साथ अच्छी नौकरी का झूठा आश्वासन देकर बेरोजगार व्यक्तियों/रोजगार चाहने वालों को गुमराह कर रही हैं/धोखा दे रही हैं और उनसे परामर्श शुल्क के रूप में अधिक धन वसूल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को ऐसी अन्य देशों के लिए भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): दिनांक 01.12.2025 तक, विदेश मंत्रालय में कुल 2,436 भर्ती एजेंट पंजीकृत किए गए हैं और उनका विवरण ऑनलाइन (emigrate.gov.in) उपलब्ध है।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकरण यानी उत्प्रवासी महासंरक्षी (पीजीई) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के बिना भर्ती एजेंट (आरए) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। आरए के पंजीकरण की प्रक्रिया उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 और 12 तथा उत्प्रवास नियम, 1983 के नियम 7 से 10 द्वारा शासित होती है। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन यानी ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है जो आरए, विदेशी नियोक्ताओं (एफई) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझे मंच पर एकत्र करता है। उत्प्रवास नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार, कोई भी अनुवंशज निवासी भावी उत्प्रवासी से उस उत्प्रवासी को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में निर्धारित राशि से अधिक सेवा

प्रभार नहीं वसूलेगा और आरए इस संबंध में उसके द्वारा एकत्र की गई राशि के लिए उत्प्रवासी को रसीद जारी करेगा। जब कभी किसी पंजीकृत आरए के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 14 के अंतर्गत संबंधित आरए को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाता है जिसमें उन्हें शिकायत का समाधान करने का निदेश दिया जाता है। यदि आरए एससीएन का जवाब देने में विफल रहता है या उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 14(2) के अनुसार उनकी आरसी को रद्द या 30 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान उसकी सन्तुष्टि तक किया जा चुका है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन के आदेश को रद्द किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ई-माइग्रेट पोर्टल पर अपंजीकृत आरए की एक सूची भी प्रकाशित करता है। इस पोर्टल पर धोखाधड़ी/अवैध भर्ती एजेंसियों के बारे में परामर्शिकाएं/अलर्ट भी दिए जाते हैं। विदेश मंत्रालय भी संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से अपंजीकृत/अवैध आरए के माध्यम से कराए गए अवैध उत्प्रवास के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

सरकार भावी उत्प्रवासियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जब कभी विभिन्न माध्यमों के द्वारा भारतीय युवाओं को झूठी भर्ती प्रस्तावों में प्रलोभन देने वाले अवैध एजेंटों/संदिग्ध फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और कुछ राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किए गए कानूनों सहित अन्य कानूनों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को भेज दिया जाता है। साइबर क्षेत्र में, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C), गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अवैध भर्ती एजेंटों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। पूरे भारत से अवैध भर्ती एजेंटों के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के अनुरोधों को नियमित रूप से I4C के साथ साझा किया गया है।

विदेश मंत्रालय फर्जी नौकरी रैकेट के खतरों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में ई-माइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और प्रचार के अन्य तरीकों के माध्यम से परामर्शिकाएं भी जारी करता है। अक्टूबर 2025 तक, देश में कुल 3,505 अपंजीकृत एजेंटों को ई-माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित किया गया है। ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, सूचना सत्रों, डिजिटल अभियानों का आयोजन करके सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इन सत्रों के दौरान उत्प्रवास विनियमों, उत्प्रवासियों के लिए लाभप्रद योजना जैसी प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी), ई-माइग्रेट पोर्टल और भारतीय दूतावासों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शी-पत्रों के बारे में जागरूकता को रोजगार चाहने वालों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के ध्यान में लाया जाता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों के सभी पूर्ववृत्तों को सत्यापित करें और धोखाधड़ी वाली नौकरी की पेशकशों में न फंसें।

*****